

F-07-08 F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O

वर्ग अनुमोदन सं.: 456 का संशोधन सहित नवीकरण Amendment - cum Renewal of Type Approval No.: 456

BENGALURU - 560 037

विषय / Sub: इलेक्ट्रो हाईड्रॉलिक सर्वो जैक, पार्ट सं. 104600000/

Electro Hydraulic Servo Jack, Part No: 104600000

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एएसईआरडीसी, लखनऊ – 226 016, द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीस प्रभाग, लखनऊ – 226 016 द्वारा उत्पादित "इलेक्ट्रो हाईड्रॉलिक सर्वो जैक", पार्ट सं. 104600000 को संदर्भ सं. एरो/आरडी-132/106/8, दिनांक 17 मई 1984 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 456 जारी किया गया था। तदुपरांत यह अनुमोदन संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-456-आर, दिनांक 01 नवंबर 2013 द्वारा नवीकरण किया गया जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक था।

This is to state that the "Electro Hydraulic Servo Jack" bearing the Part No. 104600000 designed & developed M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, ASERDC Lucknow - 226 016, and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow - 226 016, was issued with Type Approval No.: 456, vide Ref. No.: Aero/RD-132/106/8, dated: 17th May 1984. This approval was subsequently renewed vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-456-R, dated: 21st November 2013 with validity up to 31st December 2018.

2. आर सी एम ए (लखनऊ) के द्वारा अनुरोध पर, पत्र संदर्भ सं. आर सी एम ए(लखनऊ)/341/3/टेक/4, दिनांक 12 नवम्बर 2018, उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 456 में निम्नलिखित संशोधन लागू हुआ है। प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र सं. एरो/आरडी-132/106/8, दिनांक 17 मई 1984 के परिशिष्ट 'ए' के पृष्ठ सं. 8 के 1 में निम्नलिखित को जोड़िए।

पृष्ठ/Page 01 of 02

पृष्ठ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं/.TA No.: 456

The following Amendment is effected based on the request from RCMA (Lko) vide their letter Ref. No.: RCMA (Lko)/341/3/Tech/4, dated: 12th November 2018, in the subject Type Approval Number: 456. In Page 1 of 8 Appendix 'A' of initial Type Approval Certificate No.: Aero/RD-132/106/8, dated: 17th May 1984, add the following:

ACBS No.:

104600000, Issue - '2M', Dated: 01st June 2018

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 फरवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 जनवरी 2024 तक वैध है बशर्ते इसे स्थिगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), लखनऊ – 226 016 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01^{st} February 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31^{st} January 2024 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (LKO), Lucknow – 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

4. संदर्भ सं. एरो/आरडी-132/106/8, दिनांक 17 मई 1984 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: Aero/RD-132/106/8, dated: 17th May 1984 is amended as stated herewith.

पृष्ठ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं/.TA No.: 456

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमित लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency]".

प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-456/2R

दिनांक/Date : 🔑 February 2019

फैक्स सं./Fax No: 080-2523 0856

Kib. A.

पी . जयपाल/ P. JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness)